प्रपत्र–11

परियोजना का नाम :– जनपद नैनीताल में कालाढूँगी बाजपुर मोटर मार्ग में बोरपुल हनुमान मंदिर के पास से छोटी हल्द्वानी में श्री गणेश दत्त जोशी के खेत तक संम्पर्क मार्ग का निर्माण।

लैन्ड शेड्यूल
(आरक्षित वन भूमि)

जिला	वन प्रभाग का नाम	वन राजि का नाम	वन ब्लाक का नाम	परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	क्षेत्रफल (हे0)

.... लैण्ड ऑफ शेंडयूल संलग्न है ....

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)

वन क्षेत्राधिकारी
कालाढूंगी वन क्षेत्र
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

उप प्रभागीय वनाधिकारी
फतेहपुर
रामनगर वन प्रभाग रामनगर

प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

शैड्यूल आफ लैण्ड

कार्य का नाम – जनपद नैनीताल में कालाढूँगी–बाजपुर मोटर मार्ग में बौर पुल हनुमान मन्दिर के पास से छोटी हल्द्वानी में गणेश दत्त जोशी के खेत तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण।

क्र.स.	वन प्रभाग	जिला व तहसील	वन राजि का नाम	वन ब्लाक का नाम	समरेखन का नाम	वन भूमि का विवरण			भूमि का प्रकार	कुल क्षेत्रफल है. में	अभियुक्ति
						लम्बाई मी0	चौडाई मी0	क्षेत्रफल वर्गमी			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	रामनगर वनप्रभाग रामनगर	नैनीताल तहसील कालाढूँगी	कालाढूँगी	बौर ब्लाक	जनपद नैनीताल में कालाढूँगी–बाजपुर मोटर मार्ग में बौर पुल हनुमान मन्दिर के पास से छोटी हल्द्वानी में गणेश दत्त जोशी के खेत तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	25	4.5	112.5	आरक्षित	0.01125	
						975	9	8775	वन भूमि	0.87750	
					योग			8887.50		0.8887.5 या 0.8888	

प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग
रामनगर (नैनीताल)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)

वन क्षेत्राधिकारी
कालाढूंगी वनक्षेत्र कालाढूंगी
रामनगर वनप्रभाग रामनगर

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)

वन क्षेत्राधिकारी
कालाढूंगी वन क्षेत्र
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

(36)

प्रपत्र–15.4

परियोजना का नाम – जनपद नैनीताल में कालाढूँगी बाजपुर मोटर मार्ग में बोरपुल हनुमान मंदिर के पास से छोटी हल्द्वानी में श्री गणेश दत्त जोशी के खेत तक संम्पर्क मार्ग का निर्माण।

परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों का सारांश।

क सं	भूमि का प्रकार	व्यास वर्ग									योग
		10.20	20.30	30.40	40.50	50.60	60.70	70.80	80. 90	90 से अधिक	
1	आरक्षित वन भूमि	24	29	25	15	6	6	12	–	–	117
2	सिविल सोयम	–	–								
3	वन पंचायत	–	-								
	योग	24	29	25	15	6	6	12	–	–	117
4	नाप भूमि	–	–								
	कुल योग	24	29	25	15	6	6	12	–	–	117

ह0/–
राजि अधिकारी
वन क्षेत्राधिकारी
कालाढूंगी व क्षेत्र
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

ह0/–
प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

उप प्रभागीय वनाधिकारी
फतेहपुर
रामनगर वन प्रभाग रामनगर

प्रस्तावित बोरपुल हनुमान मन्दिर के पास ग्राम छोटी हल्द्वानी में श्री गणेश दत्त जोशी के खेत तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु वन क्षेत्र में पड़ने वाले स्थित वृक्षों की अनुसूचित दरों के अनुसार मूल्य बौर ब्लौक (आरक्षित वन)

क0सं0	वृक्षों की प्रजाति	वृक्षों का ब्यास डे0 मी0 में	वृक्षों की संख्या	प्रति वृक्ष मूल्य	कुल धनराशि (रू0 में)
1	सेमल हरा	7 से ऊपर	02	14575	29150
2	कन्जू हरा	2–3	02	1566	3132
		3–4	04	2611	10444
		4–5	06	4178	25068
		5–6	05	7385	36925
		6–7	05	11751	58755
		7 से ऊपर	07	13579	95053
	कन्जू सूखा	7 से ऊपर	02	15575	31150
3	पेपर मलवरी	4–5	01	4178	4178
4	सागौन हरा	0–2	12	149	1788
		2–3	09	4251	38259
		3–4	14	15885	222390
		4–5	05	34928	174640
		5–6	01	59863	59863
5	गेठी हरी	2–3	01	747	747
6	गुटेल हरा	0–2	01	309	309
		2–3	03	1721	5163
		3–4	02	2869	5738
7	रोहनी हरी	0–2	08	154	1232
		2–3	09	747	6723
		3–4	04	1492	5968
		4–5	01	2105	2105
8	हल्दू हरा	2–3	04	2109	8436
		4–5	01	12453	12453
9	कोकाठ हरा	4–5	01	2105	2105
10	गूलर हरा	2–3	01	747	747
11	भीमल हरा	0–2	02	154	308
12	शीशम हरा	6–7	01	48023	44023
13	बकैन हरा	0–2	01	154	154
14	सैजना हरा	7 से ऊपर	01	8088	8088
15	यूकेलिप्टिस हरा	30–35	01	2393	2393
	योग		117	–	8,97,487

रूपये (आठ लाख सतानब्बे हजार चार सौ सतासी मात्र)

प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग रामनगर

(67)

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– जनपद नैनीताल में कालाढूँगी बाजपुर मोटर मार्ग में बोरपुल हनुमान मंदिर के पास से छोटी हल्द्वानी में श्री गणेश दत्त जोशी के खेत तक संम्पर्क मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नामः– कालाढूँगी बन्दोबस्ती
तहसील कालाढूँगी, जिला नैनीताल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में कालाढूँगी बाजपुर मोटर मार्ग में बोरपुल हनुमान मंदिर के पास से छोटी हल्द्वानी में श्री गणेश दत्त जोशी के खेत तक संम्पर्क मार्ग का निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु 0.8888 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.00 हे0 सिविल सोयम भूमि 0.00 हे0,वन पंचायत भूमि 0.00 हे0) अर्थात कुल 0.8888 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कालाढूँगी बन्दोबस्ती द्वारा दिनांक 13-11-2014 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम छोटी हल्द्वानी (ग्राम पंचायत कालाढूँगी बन्दोबस्ती) के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0 / –	ह0 / –
ग्राम सचिव	ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ग्राम पंचायत कालाढूंगी बन्दोबस्ती वि० ख० कोटाबाग (नैनीताल)	प्रधान ग्राम पंचायत कालाढूंगी बन्दोबस्त वि० ख० कोटाबाग (नैनीताल)

प्रपत्र–23.1

दिनांक 13-11-2014 की ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्रम–छोटी हल्द्वानी ग्राम पंचायत–कालाढूँगी बन्दोबस्ती

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	जनार्दन पाण्डे श्री हरिवल्लभ	[illegible]
	दीवान बल्लभ जोशी श्री देवकी	दीवान
	तारा दत्त जोशी	[illegible]
	अनूप सिंह / रव. आनंद सिंह	अनूप सिंह
	सत्यपाल सिंह – लखपत सिंह	[illegible]
	डी. के. [illegible]	DKB [illegible]
	भूपेन्द्र सिंह [illegible]	[illegible]
	प्रकाश [illegible]	[illegible]
	जीवन सिंह	[illegible]
	सोबन सिंह	Sobansingh
	प्रकाश पाण्डे	PARKash
	ललित [illegible]	Lalit
	पुष्कर [illegible]	Pratap
	महेश [illegible]	[illegible]
	दिनेश पाण्डे	Deep
	महेश चन्द्र पाण्डे	[illegible]
	हरीश पाण्डे	हरीश
	हरीश दत्त जोशी	हरीश दत्त
	देवी दत्त पाण्डे	देवी दत्त
	हरि दत्त पाण्डे	हरि दत्त
	महेश [illegible]	महेश

ह0 /–
ग्राम प्रधान

[illegible signature]

ग्राम पंचायत छोटी हल्द्वानी
वि0 ख0 कोटाबाग (नैनीताल)

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– जनपद नैनीताल में कालाढूँगी बाजपुर मोटर मार्ग में बोरपुल हनुमान मंदिर के पास से छोटी हल्द्वानी में श्री गणेश दत्त जोशी के खेत तक संम्पर्क मार्ग का निर्माण।

कार्यालय अपर उप जिलाधिकारी, कालाढूँगी
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, कालाढूँगी

उपखण्ड कालाढूँगी, परिक्षेत्र के अन्तर्गत (0.8888 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.00 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.00 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 0.8888 हे0 वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कालाढूँगी) की दिनांक 02/12/2011 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री पंकज कुमार उपाध्याय, अपर उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री पंकज कुमार उपाध्याय अपर उपजिलाधिकारी कालाढूँगी अध्यक्ष
2– श्री जी० एस० कार्की उप प्रभागीय वनाधिकारी–रामनगर वन प्रभाग, रामनगर सदस्य
3– श्री बी० सी० जोशी सहायक समाज कल्याण अधिकारी कालाढूँगी सदस्य/सचिव
4– श्री तारा हमा[illegible] बी0डी0ओ0 क्षेत्र कोटाबाग (कालाढूँगी) सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए अपर उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद नैनीताल में कालाढूँगी बाजपुर मोटर मार्ग में बोरपुल हनुमान मंदिर के पास से छोटी हल्द्वानी में श्री गणेश दत्त जोशी के खेत तक संम्पर्क मार्ग का निर्माण परियोजना हेतु 0.8888 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा छोटी हल्द्वानी (कालाढूँगी) के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

(70)

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कालाढूँगी परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में कालाढूँगी बाजपुर मोटर मार्ग में बोरपुल हनुमान मंदिर के पास से छोटी हल्द्वानी में श्री गणेश दत्त जोशी के खेत तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु 0.8888 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

अपर उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–कालाढूँगी
जनपद – नैनीताल

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–कालाढूँगी
जनपद – नैनीताल

परियोजना का नाम :– जनपद नैनीताल में कालाढूँगी बाजपुर मोटर मार्ग में बोरपुल हनुमान मंदिर के पास से छोटी हल्द्वानी में श्री गणेश दत्त जोशी के खेत तक संम्पर्क मार्ग का निर्माण।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद–नैनीताल के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित जनपद नैनीताल में कालाढूँगी बाजपुर मोटर मार्ग में बोरपुल हनुमान मंदिर के पास से छोटी हल्द्वानी में श्री गणेश दत्त जोशी के खेत तक संम्पर्क मार्ग का निर्माण। परियोजना के निर्माण हेतु वन भूमि **0.8888 है0** प्रयोक्ता एजेन्सी निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग हल्द्वानी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु अपर उप जिलाधिकारी /अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति कालाढूँगी, (नैनीताल) तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण–पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

ह0/–
जिलाधिकारी

तहसीलदार
कालाढूंगी (नैनीताल

अपर उप जिलाधिकारी
हल्द्वानी,

जिलाधिकारी
नैनीताल.

(72)

प्रपत्र–23.4

परियोजना का नाम :– जनपद नैनीताल में कालाढूँगी बाजपुर मोटर मार्ग में बोरपुल हनुमान मंदिर के पास से छोटी हल्द्वानी में श्री गणेश दत्त जोशी के खेत तक संम्पर्क मार्ग का निर्माण।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद नैनीताल में कालाढूँगी बाजपुर मोटर मार्ग में बोरपुल हनुमान मंदिर के पास से छोटी हल्द्वानी में श्री गणेश दत्त जोशी के खेत तक संम्पर्क मार्ग का निर्माण। परियोजना के निर्माण हेतु 0.8888 है0..वन भूमि (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11–9/98–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2013 के द्वारा रेखाकार (linear) प्रयोजनों यथा–सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ0एफ0सी0 केबिल व पाईपलाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agriculural Tribal Groups) प्रभावित नही हो रहे हैं।

ह0/–
जिलाधिकारी

तहसीलदार
कालाढूंगी (नैनीताल)

अपर उप जिलाधिकारी
हल्द्वानी

जिलाधिकारी
नैनीताल

73

परियोजना का नामः– जनपद नैनीताल में कालाढूंगी बाजपुर मोटर मार्ग में बोर पुल हनुमान मन्दिर के पास से छोटी हल्द्वानी में श्री गणेश दत्त जोशी के खेत तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद नैनीताल के अन्तर्गत प्रस्तावित कालाढूंगी बाजपुर मोटर मार्ग में बोर पुल हनुमान मन्दिर के पास से छोटी हल्द्वानी में श्री गणेश दत्त जोशी के खेत तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु 0.8888 है0 वन भूमि निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी (नैनीताल) प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या 11–9/98–एफ0सी0, दिनांक 05.02.2013 के द्वारा सड़क निर्माण, नहर निर्माण, पारेषण लाईन, रोपवे, ओ0एफ0सी0 केबिल, पाईप लाईन बिछाने आदि प्रयोजनों को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। भारत सरकार के उक्त आदेश के क्रम में प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना विशेष के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Primitive Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे है।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो॰नि॰वि॰
हल्द्वानी (नैनीताल)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो॰ नि॰ वि॰
हल्द्वानी (नैनीताल)

जिलाधिकारी
नैनीताल

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

(74)

FORM – 1

(for Linear projects)

Office of the District Collector – Nainital

No. 5/2 Dated 27-12-2014

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter no 11-9/98 & FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having intiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dates 5th February 2013 whereing MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.8888 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer, Construction Division, P .W.D. Haldwani. (name of user agency) for Construction of Janpad Nainital me Kaladhundi-Bajpur Motor Marg me Bor pul Hanuman Mandir ke pass se Choti Haldwani me Shri Ganesh Dutt Joshi ke Khat tak Sampark Marg ka Nirman (purpose for diversion of forest land) in Nainital district falls within jurisdiction of Choti Haldwani, Kaladhungi Bandobasti, Jhalwajhala Bandobasti, Jhalwajhala Kham villages in Kaladhungi Tehsil.

It is further certified that:

a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.8888 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s) Sub-Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ..1..to annexure...47...
b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it.
c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Trible Gropus and prep-agricultural communities.

Encl : As above.

Signature

(Sri Deepak Rawat)
District Collector, Nainital

जिलाधिकारी
नैनीताल।

प्रारूप – 30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER

DISTRICT – NAINITAL (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA), 2006.

A meeting of the district level committee of Nainital district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Deepak Rawat, I.A.S. deputy commissioner, Nainital on dated 2-12-2019 at time 12 am Kaladhungi Nainital in which application claiming rights in 8887.50 Sq. Meter /area measuring 0.8888 hect. for the construction of Construction of Janpad Nainital me Kaladhundi-Bajpur Motor Marg me Bor pul Hanuman Mandir ke pass se Choti Haldwani me Shri Ganesh Dutt Joshi ke Khat tak Sampark Marg ka Nirman forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Haldwani sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence district level committees recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place - Nainital

Dated 27-12-2019

Deputy Commissioner cum chairman

District Level Committee

जिलाधिकारी
नैनीताल

प्रपत्र–35

परियोजना का नामः– जनपद नैनीताल में कालाढूँगी बाजपुर मोटर मार्ग में बोरपुल हनुमान मंदिर के पास से छोटी हल्द्वानी में श्री गणेश दत्त ज़ोशी के खेत तक संम्पर्क मार्ग का निर्माण।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन मय मानचित्र

क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना संलग्न है

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)

प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

वन क्षेत्राधिकारी
कालाढूंगी वन क्षेत्र
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

उप प्रभागीय वनाधिकारी
फतेहपुर
रामनगर वन प्रभाग रामनगर

वृक्षारोपण प्राक्कलन

परियोजना का नाम – जनपद नैनीताल के अन्तर्गत कालाढूँगी–बाजपुर मोटर मार्ग में वीरपुल हनुमान मंदिर के पास से छोटी हल्द्वानी में श्री गणेश दत्त जोशी के खेत तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण हेतु आस पास रिक्त पड़े स्थानों पर 100 मीटर लम्बाई में वृक्षारोपण कार्य

वृक्षारोपण स्थल का नाम – निहाल ब्लॉक

क्षेत्रफल – 0.250 है0

रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या – 100 पौध

क्र.सं.	कार्य का नाम	इकाई	इकाई दर(रू0)	योग
1	2	3	4	5
	प्रथम वर्ष			
1.	सर्वे एवं सीमांकन	0.250 है0	ल0सं0	200.00
2.	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	0.250 है0	6476/	1619.00
3.	गड्ढा खुदान (0.45×0.45×0.45)	100 गढ्ढे	8.05/	805.00
4.	पौधों की सुरक्षा हेतु आर.सी.सी. पीलर लगाना	68 पीलर	8.68/	590.24
5.	आर.सी.सी. खम्बे स्थापना व ढुलान	0.250 है0	8682/	2170.50
6.	तारबाड़ की मात्रा एवं कीमत	0.250 है0	4824/	1206.00
7.	आर.सी.सी. पोलों मे तारबाड़ लगाना	68 पीलर	ल0सं0	2500.00
8.	अन्य व्यय	—	ल0सं0	500.00
			योग	9,590.74
	द्वितीय वर्ष			
1.	गड्ढा भरान कार्य (0.45×0.45×0.45)	100 गढ्ढे	0.90/	900.00
2.	खाद क्रय कर गढ्ढों में भरना	100 गढ्ढे	7/	700.00
3.	पौधों की कीमत	100 पौध	25/	2500.00
4.	पौध ढुलान कार्य बाहर से	100 पौध	ल0सं0	500.00
5.	पौधरोपण व स्थानीय ढुलान	100 पौध	2.68/	268.00
6.	निराई गुड़ाई – प्रथम गुड़ाई	0.250 है0	1760/	440.00
	द्वितीय गुड़ाई	0.250 है0	1408/	352.00
	तृतीय गुड़ाई	0.250 है0	880/	220.00
7.	वृक्षारोपण की देख–रेख व रखरखाव मरम्मत	90 मा0दि0	220/	19800.00
8.	रोपण के बाहर 3 मीटर पट्टी मे फायर लाईन कटान एवं फुकान कार्य	0.250 है0	155/	38.75
9.	अन्य आवस्मिक व्यय	0.250 है0	184/	46.00
			योग	25,764.75
	तृतीय वर्ष			
1.	वृक्षारोपण क्षेत्र में झाड़ी कटान कार्य	0.250 है0	1475/	368.75
2.	निराई गुड़ाई	0.250 है0	1408/	352.00
3.	वृक्षारोपण की देख–रेख व रखरखाव	90 मा0दि0	220/	19800.00
4.	तारबाड़ मरम्मत कार्य	0.250 है0	203/	50.75
5.	रोपण के बाहर 3 मीटर पट्टी में फायर लाईन कटान एवं फुकान कार्य	0.250 है0	143/	35.75
6.	अन्य आवस्मिक व्यय	0.250 है0	184/	46.00
			योग	20,653.25
	चतुर्थ वर्ष			
1.	वृक्षारोपण क्षेत्र में झाड़ी कटान कार्य	0.250 है0	1475/	368.75
2.	निराई गुड़ाई	0.250 है0	1408/	352.00
3.	वृक्षारोपण की देख–रेख व रखरखाव	90 मा0दि0	220/	19800.00
4.	तारबाड़ मरम्मत कार्य	0.250 है0	203/	50.75
5.	रोपण के बाहर 3 मीटर पट्टी में फायर लाईन कटान एवं फुकान कार्य	0.250 है0	143/	35.75
6.	अन्य आवस्मिक व्यय	0.250 है0	184/	46.00
			योग	20,653.25
	पंचम वर्ष			
1.	वृक्षारोपण क्षेत्र में झाड़ी कटान कार्य	0.250 है0	1475/	368.75
2.	निराई गुड़ाई	0.250 है0	1408/	352.00
3.	वृक्षारोपण की देख–रेख व रखरखाव	90 मा0दि0	220/	19800.00
4.	तारबाड़ मरम्मत कार्य	0.250 है0	203/	50.75
5.	रोपण के बाहर 3 मीटर पट्टी में फायर लाईन कटान एवं फुकान कार्य	0.250 है0	143/	35.75
6.	अन्य आवस्मिक व्यय	0.250 है0	184/	46.00
			योग	20,653.25

क्र.सं.	कार्य का नाम	इकाई	इकाई दर(रू0)	योग
1	2	3	4	5
	षष्ठम् वर्ष			
1.	वृक्षारोपण क्षेत्र में झाड़ी कटान कार्य	0.250 है0	1475/	368.75
2.	निराई गुड़ाई	0.250 है0	1408/	352.00
3.	वृक्षारोपण की देख–रेख व रखरखाव	90 मा0दि0	220/	19800.00
4.	तारबाड़ मरम्मत कार्य	0.250 है0	203/	50.75
5.	रोपण के बाहर 3 मीटर पट्टी में फायर लाईन कटान एवं फुकान कार्य	0.250 है0	143/	35.75
6.	अन्य आकस्मिक व्यय	0.250 है0	184/	46.00
			योग	20,653.25
	सप्तम् वर्ष			
1.	वृक्षारोपण क्षेत्र में झाड़ी कटान कार्य	0.250 है0	1475/	368.75
2.	निराई गुड़ाई	0.250 है0	1408/	352.00
3.	वृक्षारोपण की देख–रेख व रखरखाव	90 मा0दि0	220/	19800.00
4.	तारबाड़ मरम्मत कार्य	0.250 है0	203/	50.75
5.	रोपण के बाहर 3 मीटर पट्टी में फायर लाईन कटान एवं फुकान कार्य	0.250 है0	143/	35.75
6.	अन्य आकस्मिक व्यय	0.250 है0	184/	46.00
			योग	20,653.25
	अष्ठम् वर्ष			
1.	वृक्षारोपण क्षेत्र में झाड़ी कटान कार्य	0.250 है0	1475/	368.75
2.	निराई गुड़ाई	0.250 है0	1408/	352.00
3.	वृक्षारोपण की देख–रेख व रखरखाव	90 मा0दि0	220/	19800.00
4.	तारबाड़ मरम्मत कार्य	0.250 है0	203/	50.75
5.	रोपण के बाहर 3 मीटर पट्टी में फायर लाईन कटान एवं फुकान कार्य	0.250 है0	143/	35.75
6.	अन्य आकस्मिक व्यय	0.250 है0	184/	46.00
			योग	20,653.25
	नवम् वर्ष			
1.	वृक्षारोपण क्षेत्र में झाड़ी कटान कार्य	0.250 है0	1475/	368.75
2.	निराई गुड़ाई	0.250 है0	1408/	352.00
3.	वृक्षारोपण की देख–रेख व रखरखाव	90 मा0दि0	220/	19800.00
4.	तारबाड़ मरम्मत कार्य	0.250 है0	203/	50.75
5.	रोपण के बाहर 3 मीटर पट्टी में फायर लाईन कटान एवं फुकान कार्य	0.250 है0	143/	35.75
6.	अन्य आकस्मिक व्यय	0.250 है0	184/	46.00
			योग	20,653.25
	दशम् वर्ष			
1.	वृक्षारोपण क्षेत्र में झाड़ी कटान कार्य	0.250 है0	1475/	368.75
2.	निराई गुड़ाई	0.250 है0	1408/	352.00
3.	वृक्षारोपण की देख–रेख व रखरखाव	90 मा0दि0	220/	19800.00
4.	तारबाड़ मरम्मत कार्य	0.250 है0	203/	50.75
5.	रोपण के बाहर 3 मीटर पट्टी में फायर लाईन कटान एवं फुकान कार्य	0.250 है0	143/	35.75
6.	अन्य आकस्मिक व्यय	0.250 है0	184/	46.00
			योग	20,653.25
	कुल व्यय प्रथम वर्ष से दस वर्षो का योग		योग	2,00,581.49
			या	2,00,500.00

उप प्रभागीय वनाधिकारी
फतेहपुर
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

वन क्षेत्राधिकारी
कालाढूंगी/नयी क्षेत्र
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

(109)

प्रपत्र–41

परियोजना का नामः– जनपद नैनीताल में कालाढूँगी बाजपुर मोटर मार्ग में बोरपुल हनुमान मंदिर के पास से छोटी हल्द्वानी में श्री गणेश दत्त जोशी के खेत तक संम्पर्क मार्ग का निर्माण।

उक्त कार्ययोजना का निर्माण मैदानी क्षेत्र में किया जाना है परियोजना निर्माण के दौरान मलवा उत्पादित नही होना है बल्कि समतलीकरण एवं पहुच मार्ग हेतु अतिरिक्त मलवा/मिटटी आदि की आवश्यकता होगी अतऐव परियोजना निर्माण के दौरान उत्पादित मलवे के निस्तारण हेतु मकडिस्पोजल प्लान(मलवा निस्तारण योजना व मानचित्र) की आवश्यकता नही है।

परियोजना से उत्पादित मलवें के वैज्ञानिक विधि से उचित निस्तारण की योजना मय मानचित्र व उपचार योजना के प्राक्कलन

क0सं0	कार्य मद	संख्या	दर/इकाई	कुल धनराशि

....शून्य..

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)

वन क्षेत्राधिकारी
कालाढूंगी वन क्षेत्र
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर.

उप प्रभागीय वनाधिकारी
कालाढूंगी
रामनगर वन प्रभाग रामनगर

प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

परियोजना का नामः– जनपद नैनीताल में कालाढूँगी बाजपुर मोटर मार्ग में [illegible] हनुमान मंदिर के पास से छोटी हल्द्वानी में श्री गणेश दत्त जोशी के [illegible] तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण।

लीज अवधि का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना हेतु प्रस्तावित वन भूमि को लीज पर नही लिया जा रहा है क्योंकि यह एक स्थाई दीर्घकालीक परियोजना है।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
हल्द्वानी (नैनीताल)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,हल्द्वानी (नैनीताल)।
Office of The Executive Engineer, C.D.P.W.D.Haldwani.
(Phone/Fax) : 05946-223352 **E-mail-** ee_ndhal@rediffmail.com

पत्रांक 1154 / 4G?

दिनांक 19/04/2016

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
रामनगर वन प्रभाग,
रामनगर।

विषय :– **जनपद नैनीताल में कालाढूंगी–बाजपुर मोटर मार्ग में बौरपुल हनुमान मंदिर के पास से छोटी हल्द्वानी में श्री गणेश दत्त जोशी के खेत तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण (FP/UK/ROAD/8636/2014)**

सन्दर्भ :– **EDS Dt. 22.03.2016.**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित **EDS के अनुपालन में लोक निर्माण विभाग से सन्दर्भित बिन्दुवार आख्या/सूचना निम्नवत् है:–**

1. आन लाईन पैरा–(III) में परियोजना का संक्षिप्त नाम पूर्व में ही अंकित किया गया है।
2. आन लाईन पैरा–A–1 (X) के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त परियोजना दीर्घकालीक परियोजना है जिसका प्रमाण पत्र प्रस्तावों के पृष्ठ संख्या 116 में संलग्न है। न्यूनतम समयअवधि 100 वर्ष अंकित कर दी गयी है।
3. आन लाईन पैरा–B-2.3 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि चयनित प्रस्तावित समरेखण में किसी गॉव की भूमि प्रभावित नही होती है। समरेखण में पड़ने वाली भूमि आरक्षित वन भूमि है जिसे लैण्ड शैडयूल में वन ब्लाक अनुसार अंकित किया गया है जो प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 36 पर संलग्न है।
4. आन लाईन पैरा–B-2.4 के सम्बन्ध में प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 36 के प्रपत्र में Total Land Required 0.8887.5 या 0.8888 हैक्टयर अंकित है।
5. आन लाईन पैरा–डी के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रस्तावित चयनित समरेखण कृषकों की भूमि व आरक्षित वन भूमि के मध्य सीमा का कार्य करेगा,जिससे वन भूमि पर अतिक्रमण की सम्भावनायें नही रहेंगी।
6. आन लाईन पैरा–E of Part-1 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त परियोजना निर्माण से स्थानीय जनता को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुप से रोजगार प्राप्त होगा।
7. आन लाईन पैरा–K of Part-1 FRA से सम्बन्धित सभी प्रपत्र/प्रमाण पत्र प्रस्ताव में पृष्ठ संख्या 67–75 में संलग्न किये गये है।
8. उक्त सूचना वन विभाग से प्राप्त कर प्रस्तावों के पृष्ठ संख्या 95–96 पर 10 वर्षो के रख–रखाव के आगणन सहित संलग्न है।

9. उक्त परियोजना का Muck Dumping Plan से सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्तावों के पृष्ठ संख्या 109 पर पूर्व से ही संलग्न है चूंकि यहाँ पर कार्य के समय मलवा नही निकलना है यह योजना मैदानी क्षेत्र में प्रस्तावित है मार्ग निर्माण के समतलीकरण हेतु मिट्टी/मलवे की अतिरिक्त आवश्यकता होगी। अतः Muck Dumping Plan की आवश्यकता नही है।
10. आन लाईन पार्ट–II में वृक्षों के 118 व 117 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त सूची वन विभाग से प्राप्त हुई है जो तद्नुसार ही प्रस्ताव में संलग्न की गयी है। जिनमें प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या 117 है।
11. Working Plan आन लाईन पार्ट–II वन विभाग से सम्बन्धित।
12. पैरा–6 आन लाईन पार्ट– II वन विभाग से सम्बन्धित।
13. पैरा–7 आन लाईन पार्ट– II वन विभाग से सम्बन्धित।
14. पैरा–14 के पार्ट–II के CA के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त परियोजना हेतु प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि लैण्ड शैडयूल प्रस्तावों के पृष्ठ संख्या 36 में संलग्न है, जो 0.8888 हैक्टयर Total है।
15. वन विभाग से सम्बन्धित।
16. CF/ वन विभाग से सम्बन्धित।
17. उक्त प्रपत्र नोडल अधिकारी के प्रपत्र IV के उपरान्त राज्य सरकार वन विभाग के प्रभारी सचिव स्तर का है। उक्त प्रपत्र नोडल अधिकारी द्वारा प्रपत्र IV पर अपनी कार्यवाही/टिप्पणी उपरान्त अपर सचिव वन विभाग को प्रेषित किया जाता है।

19/12/16

(रणजीत सिंह)
अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

पत्रांक ______/______ 　　　　दिनांक ____/____/2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्द्रानगर फारेस्ट कालौनी उत्तराखण्ड देहरादून।
2. जिलाधिकारी, नैनीताल।

(रणजीत सिंह)
अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
हल्द्वानी (नैनीताल)।